

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 08/03/2018

क्रमांक 597 /479/2018/ई/चार, श्रीमती सुमित्रा मयूर, संयुक्त संचालक (मध्यप्रदेश वित्त सेवा अधिकारी) संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, इंदौर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-42 के उप नियम (1) के खण्ड-क के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अर्हतादायी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 01.03.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई है।

2/ राज्य शासन द्वारा श्रीमती सुमित्रा मयूर, संयुक्त संचालक, वित्त सेवा अधिकारी की दिनांक 01.03.2018 अपराह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(मनोज कुमार जेन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल दिनांक 08/03/2018

पृष्ठांकन क्रं. 598 /479/2018/ई/चार,

प्रतिलिपि :-

01. माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
 02. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर,
 03. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के निज सहायक,
 04. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल,
 05. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल,
 06. कलेक्टर, इंदौर,
 07. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, इंदौर,
 08. जिला कोषालय अधिकारी/पेंशन अधिकारी, इंदौर,
 09. श्रीमती सुमित्रा मयूर, संयुक्त संचालक (मध्यप्रदेश वित्त सेवा अधिकारी) संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, इंदौर
 10. गार्ड फाईल,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विजय कठाने)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग